विनियम क्रमांक 17

संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायान्तर्गत संचालित -

प्राच्य संस्कृत संस्थाओं की सम्बध्दता/मान्यता के संबंध में निम्न विनियम प्रभावशील किये जाते हैं -

एक प्राच्य संस्कृत संस्थाओं का वर्गीकरण प्राच्य संस्कृत संस्थाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा -

1. संस्कृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय Žसमकक्ष कक्षा 8—

इन संस्थाओं में प्रथमा की अध्यापन - व्यवस्था रहेगी तथा इन्हें संस्कृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय के

नाम से परिभाषित किया जावेगा।

2. संस्कृत उच्च विद्यालय ;समकक्ष कक्षा 10द्ध

इन संस्थाओं में प्रथमा से पूर्व मध्यमा तक की अध्यापन व्यवस्था रहेगी, तथा इन्हें संस्कृत उच्च विद्यालय

के नाम से परिभाषित किया जायेगा।

3. संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ;समकक्ष कक्षा 12द्ध

इन संस्थाओं में प्रथमा से उत्तर मध्यमा तक की अध्यापन व्यवस्था रहेगी तथा इन्हें संस्कृत उच्चतर

माध्यमिक विद्यालय के नाम से परिभाषित किया जायेगा।

4. संस्कृत महाविद्यालय ;स्नातक स्तरद्ध

प्रथाम से शास्त्री तक अध्यापन व्यवस्था वाली संस्थाओं को संस्कृत महाविद्यालय के नाम से

परिभाषित किया जायेगा।

5. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय

प्रथमा से आचार्य तक अध्यापन व्यवस्था वाले संस्कृत महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर संस्कृत

महाविद्यालय के नाम से परिभाषित किया जायेगा।

दो - प्राच्य संस्कृत संस्थाओं की सम्बध्दता/मान्यता हेतु निर्धारित प्रक्रिया -

1. पूर्व माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की मान्यता हेतु मध्यप्रदेश निर्व्यापारिक अधिनियम के अंतर्गत

फर्म्स एवं संस्थायें व्दारा पंजीकृत संस्था के अध्यक्ष/सचिव/शासकीय संस्कृत विद्यालय के

प्रधानाध्यापक विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर जिला शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा

संचालक से अनुमति प्राप्त कर अनुमति पत्र की प्रतिलिपि के साथ संचालन वर्ष के पूर्व दिनांक 28

फरवरी तक कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा, तथा निर्धारित शुल्क भी देय होगा।

2. संस्कृत उच्च विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्व्यापारिक अधिनियम के

अंतर्गत पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें व्दारा पंजीकृत संस्था के अध्यक्ष/सचिव/शासकीय संस्कृत

विद्यालय के प्रधानाचार्य विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण

से अनुमति प्राप्त करें। अनुमति पत्र की प्रतिलिपि के साथ कुलसचिव के यहां संचालन वर्ष के पूर्व

दिनांक 28 पफरवरी तक प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित शुल्क के साथ आवेदनपत्र देना होगा।

3. संस्कृत महाविद्यालयों/संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की सम्बध्दता हेतु मध्यप्रदेश निर्व्यापारिक

अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक पफर्म्स एवं संस्थायें व्दारा पंजीकृत संस्था के अध्यक्ष/ सचिव अथवा

शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य व्दारा विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के अनुमोदनोपरान्त एवं प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय

कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । साथ ही आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा।

यह तिथि संचालन वर्ष के पूर्व क्रमशः 28 पफरवरी एवं 30 जून तक निर्धारित है।

तीन - सम्बध्दता/मान्यता शुल्क

1. महाविद्यालयों व्दारा आवेदन शुल्क तथा वार्षिक सम्बध्दता शुल्क परिनियम 27 ;2द्ध ;1द्ध, 27 ;4द्ध;3द्ध

तथा 28;8द्ध ;3द्ध के अनुसार देय होंगे।

2. सभी विद्यालयों व्दारा आवेदन शुल्क 300.00 देय होगा। यह शुल्क मान्यता हेतु प्रथम बार आवेदन

करते समय तथा अस्थाई मान्यता के नवीनीकरण एवं स्थाई मान्यता के वार्षिक शुल्क के रूप में देय

होगा। स्थाई मान्यता के लिये आवेदन हेतु रू0 500.00 ; रू0 पांच सौद्ध शुल्क देय होगा।

महाविद्यालयों व्दारा परिनियम 27 की कण्डिका 4 के अनुसार आवेदन शुल्क के रूप में रू0

350/- ž तीन सौ पचास— का भुगतान किया जायेगा।

चार - संस्कृत संस्थाओं में न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं।

1. पूर्व माध्यमिक संस्कृत विद्यालय ;प्रथम स्तरद्ध

न्यूनतम अनिवार्यें वांछित अतिरिक्त आवश्यकतायें विश्ेष

आवश्यकतायें आवश्यकतायें

....

1 2 3
4

....
....

कद्ध शिक्षक

;1द्ध शास्त्री ;1द्ध खेल का उपयुक्त मैदान प्रथम स्तर के ग्रन्थ

प्रधानाध्यापक ;1द्ध जो कबड्डी/बालीवाल के

;2द्ध उ0म0-सहायक लिये हो तथा 1 भृत्य

शि.;1द्ध ;3द्ध उ0म0

;आंग्ल भाषाद्ध सहित

या तत् समकक्ष ;1द्ध ;2द्ध उपयुक्त फर्नीचर

सहायक शिक्षक

žख्ाा— ंभवन अध्यापन कक्ष 3

कार्यालय कक्ष 1

žग— भृत्य-1

ž2— संस्कृत उच्च विद्यालय žप्रथमा से पूर्व मध्यमा तक—

....
....

न्यूनतम अनिवार्य वांछित आवश्यकतायें अतिरिक्त आवश्यकतायें
विशेष

आवश्यकतायें यदि धन उपलब्ध हो

.....0.....

.....

1 2 3

4

.....

.....

ž्क— शिक्षक

1. आचार्य ž्प्रधानाचार्य— 1. कबड्डी, बालीबाल 1. पूर्व मध्यमा तक

क वर्गीय

विषया

ž1— फुटबाल के लिये वांछित के ग्रन्थ

नुसार एवं

छात्रानुसार

2. शास्त्री-शिक्षक ž3— खेल 2. तथा भृत्य ž1—

शिक्षक

3. शास्त्री ž्आंग्लभाषा—

होंगे

सहित अथवा स्नातक मैदान व उपकरण 3. छात्रावास उ0

ž्बी.ए.— सहायक शिक्षकž1— 2. फर्नीचर छात्रों हेतु

3. कार्यालय कक्ष

ž‍ख— भवन- अध्यापन कक्ष 6

प्रधानाचार्य कक्ष 1

žग— भृत्य 1

ž3— संस्कृत

ंउच्तर माध्यमिक विद्‍यालय žप्रथमा से उत्तर मध्यमा तक—

न्यूनतम अनिवार्य वांछित आवश्यकतायें अतिरिक्त आवश्यकतायें विशेष

आवश्यकतायें यदि धन उपलब्ध हो

1 2 3 4

žक— शिक्षक

ž1— आचार्य- प्राचार्य ž1— ž1— खेल का मैदान एवं क वर्गीय विषयों के अनुसार

ž2— आचार्य-व्याख्याताž3— उपकरण व्याकरण, वेद, साहित्य आदि

ž3— एम ए -व्याख्याता ž1— ž2— फर्नीचर के शैक्षणिक पद होंगे

Žआधुनिक विषय— ž3— ग्रन्थालय

ž4— शास्त्री- शिक्षक ž2— ž4— भृत्य ž2—

ž5— शास्त्री -Žआंग्लभाषा—

सहित या तत् समकक्ष

Žबी.ए— सहायक शिक्षकž1— ž5— लिपिक ž2—

;खद्ध भवन ž6— यदि विज्ञान विषय पढाया जाय

अध्यापन कक्ष 7 तो प्रायोगिक सामग्री एवं कक्ष

प्राचार्य कक्ष 1 तथा विज्ञान शिक्षक

कार्यालय कक्ष 1

Žग— भृत्य 1

ž4— संस्कृत महाविद्यालय ž प्रथमा से आचार्य तक —

.....
.....

न्यूनतम अनिवार्य वांछित आवश्यकतायें अतिरिक्त आवश्यकतायें

विशेष आवश्यकतायें यदि धन उपलब्ध हा

1 2 3
4

....
....

žक— शिक्षक

ž1— प्राचार्यž1—न्यूनतम अर्हता प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय क वर्गीय विषयानुसार एतद्

आचार्य अथवा žएम ए— के लिये प्रोफेसर तथा शास्त्री विषयों में आचार्य की

संस्कृत के लिये असि0 प्रोफेसर योग्यता होगी

ž2— सहायक आाचार्य न्यूतम अर्हता

आचार्य ž4 पद —

ž3— सहायक आचार्य ž1 पद—

žएम ए— आधुनिक विषय

विशेषः अन्य शिक्षकीय व्यवस्था प्रथमा से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक की मान्य रहेगी ।

žख— भवन प्राचार्य कक्ष ž1— क्रीड़ा अधिकारी ž1—

अध्यापन कक्ष ž10— क्रीड़ा मैदान एवं उपकरण

ग्रन्थालयž1— फर्नीचर

अध्यापक कक्ष ž1— भृत्य ž3—

कार्यालय ž1— लिपिक ž3—

स्टाक स्टोर कक्ष ž1— ग्रन्थपाल ž1—

žग— लिपिक-1 भृत्य-1 ग्रन्थपाल - 1

ž5— स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय ž प्रथमा से आचार्य तक —

न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकतायें वांछित आवश्यकतायें अतिरिक्त विशेष आवश्यकतायें यदि धन उपलब्ध हो

.....

1 2 3 4

.....

žक— शिक्षकीय पद

ž1— प्राचार्य ž1 पद— 1. प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय के वर्गीय विषयों के न्यूनतम अर्हता आचार्य के लिये प्रोफेसर शिक्षकीय पद विषय की अथवा एम ए संस्कृत आवश्यकतानुसार होंगे।

ž2— आचार्य žप्रो.फ.— ž3— इसी प्रकार ख वर्गीय आधुनिक

न्यूनतम अर्हता आाचार्य उपाधि विषय के भी पद विषय की

ž3— सहायक आचार्य ž6— न्यूनतम अर्हता आवश्यकतानुरूप होंगे।

आचार्य

ž4— सहायक आचार्य ž2— न्यूनतम अर्हता

एम ए आधुनिक विषय

विशेष -ः प्रथमा से मध्यमा तक की कक्षाओं हेतु अन्य शिक्षकीय व्यवस्था पूर्ण माध्यमिक से उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों की सम्मिलित रहेगी।

žख— भवन :

प्राचार्य कक्ष ž1—	क्रीड़ा अधिकारी ž1— पद
अध्यापन कक्ष ž11—	ग्रन्थपाल ž1—
कार्यालय ž1—	भृत्य ž4—
ग्रन्थालय कक्ष ž1—	लिपिक ž4—
भण्डार कक्ष ž1—	क्रीड़ोपकरण एवं प्रांगण
वाचनालय ž1—	

ǯग— लिपिक - 1 भृत्य - 1

विशेष : संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायान्तर्गत अकादमिक प्रयोजनों हेतु प्राच्य संस्कृत शिक्षकों की वरीयता

अधिमान्य होगी।

पांच निरीक्षण व्दारा अस्थाई मान्यता/सम्बध्दता प्राप्त संस्थाओं का प्रति वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा।

निरीक्षण समिति

ž1— संस्कृत महाविद्यालयों के लिये निरीक्षण समिति परिनियम 27 ;5द्ध के अनुसार नियुक्त होगी किन्तु

संस्कृत महाविद्यालयों के एक आचार्य/सहायक आचार्य को जो प्राच्य संस्कृत का हो - एक

सदस्य के रूपमें रखना वांछित होगा।

ž2— संस्कृत विद्यालयों के लिये व्दि-त्रिसदस्यीय निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार होगा।

ǯक— विश्वविद्यालय के अधिकारी वर्ग

ǯख— संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य एवं सहायक आचार्य

ǯग— आवश्यकतानुसार संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक

छः सम्बध्दता/मान्यता

ž1— महाविद्यालयों के लिये सम्बध्दता के संबंध में परिनियम 27 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण

प्रतिवेदनों पर विचारोपरान्त निर्णय लिये जावेंगे।

ž2— विद्यालयों की मान्यता के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार कर कुलपति निर्णय के लिये सक्षम

होंगे।

ž3— सम्बध्दता/मान्यता निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित शर्तो तथा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं

संबंधी मानदण्डों की पूर्ति संबंधी शर्तो के आधार पर दी जायेगी।

ž4— जो संस्थायें मानदण्ड में निर्धारित न्यूनतम एवं वांछनीय आवश्यकतायें पूरी करती हों उन्हें स्थाई

सम्बध्दता/मान्यता दी जायेगी ।

ž5— संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से जिन संस्थाओं को स्थाई सम्बध्दता/मान्यता उपलब्ध रही हो

उनकी तदनुसार सम्बध्दता/मान्यता जारी रखी जाय।

सातः इण्डाउमेण्ट फण्ड

ž1— महाविद्यालयों के लिये इण्डाउमेण्ट पफण्ड की राशि परिनियम 28 में वर्णित अनुसार होगी।

ž2— पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर ॅप्रथमा स्तरं— रू0 1000.00 ॅएक हजार—

ž3— उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर ॅपू0माध्य0उ0माध्य0 स्तर— रू0 2000.00 ॅदो हजार—